कृषि अनुसंधान और विस्तार के बीच तालमेल

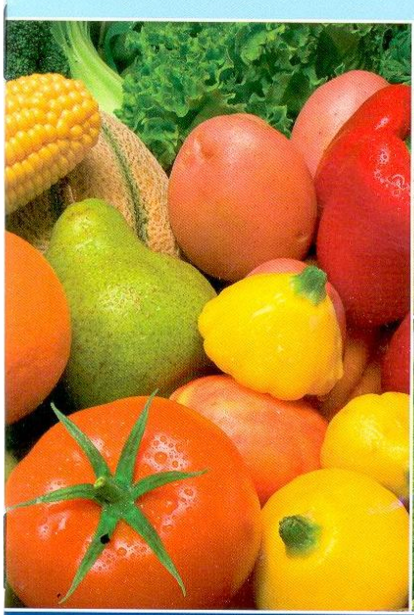

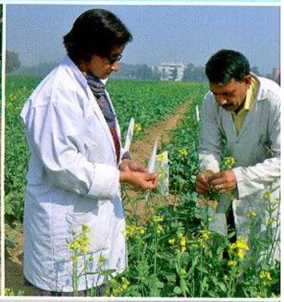

भारत सरकार
कृषि एवं सहकारिता विभाग
व
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

जनवरी, 2011

भारत सरकार
कृषि एवं सहकारिता विभाग
व
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

मि. सं. 26(1)/2010 - ए. ई.

नई दिल्ली
दिनांकः 27 जनवरी, 2011

कृषि अनुसंधान और विस्तार के बीच तालमेल

जैसा कि आपको मालूम ही है कि खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा देश के लिए अति–महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा न केवल सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में की गई है बल्कि हमारी राष्ट्रीय नीतियों में भी इसका वर्णन है। इसके साथ–साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली एवं अनवरत आर्थिक प्रगति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार कृषि जनित आय को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने की ओर निरंतर ध्यान दे रही है। यह नीति हमारी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने व वांछित उत्पादन स्तर रखने के लिए भी अपरिहार्य है।

2. सरकार कृषि मंत्रालय की केन्द्र–पोषित एवं केन्द्र–प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों की जरूरतों की ओर प्रभावशाली रूप से ध्यान देती रही है। जहां एक ओर कृषि एवं सहकारिता विभाग और पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित योजनायें एवं कार्यक्रमों की संरचना में लगे हुयें हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) उत्पादकता बढ़ाने हेतु लगातार बेहतर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विधियां अनुसंधान के माध्यम से विकसित करता है। गत कई वर्षों से हमने राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तिलहनों, दालों, ऑयलपॉम एवं मक्का संबंधी समेकित योजना, कृषि मैक्रो प्रबन्धन, गुणवत्ता वालें बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए आधारभूत ढांचे का और सुदृढ़ीकरण आदि विभिन्न योजनाओं के बेहतर परिणाम देखें हैं। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) प्रणाली ने कई नई किस्में और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय यन्त्र व विधियां विकसित की हैं जिनसे भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने में सीधा सहयोग मिला है।

3. जबकि कृषि मंत्रालय स्तर पर समन्वय ढ़ांचें का संतोषजनक विकास हुआ है, फिर भी वैज्ञानिक समुदाय और किसान – लाभार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल में अभी और सुधार की संभावना है । हरितक्रांति की सफलता का एक कारण था कि सभी वैज्ञानिक, प्रशासक और किसान कृषि क्षेत्र में एक मूलभूत परिवर्तन लाने के लिएं एकजुट होकर आगे आये। समयांतराल में यह परस्पर सहयोग की कड़ी उतनी मज़बूत नहीं रही है। वैज्ञानिकों एवं प्रशासकों; प्रशासकों एवं किसानों तथा वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच परस्पर संबंधों में इस कमी से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास से होने वाले लाभ से किसान प्रायः वंचित रह जाते है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करें कि किस तरह वैज्ञानिक, प्रशासक और किसान के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं या यूं कहिए कि प्रयोगशाला से खेत तक की पहुंच कैसे मजबूत बनाई जा सकती है।

4. राज्यों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा की सुविधा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा. कृ.अ.प. के विशिष्ट संस्थानों और कृषि

विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के माध्यम से उपलब्ध है। इसी तरह से राज्यों में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के प्रसार एवं कियान्वयन का कार्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन ऐजेंसी (आत्मा) तथा विस्तार प्राधिकारियों, जिसमें राज्य कृषि अधिकारी, और निचले स्तर के कार्य–कर्ता शामिल है, के द्वारा किया जा रहा है।

5. राज्यों में उपलब्ध वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मचारियों का पूरा लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए निम्नवत निर्णय लिए गयें है :–

(क) आत्मा की शासकीय निकाय एवं प्रबन्धन समितियों की बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त, के.वी.के के कार्यक्रम समन्वयक एवं आत्मा के परियोजना निदेशक फसल चक्र के दौरान माह में कम से कम एक बार आपस में बैठक करके चर्चा करेंगें और फसल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर किसानों को फसल संबंधी सलाह उपलब्ध करने के लिए एक रणनीति तैयार करेगें। जिलों के विभिन्न ब्लाकों में आवश्यक 'तकनीकी जरूरतों' को चिन्हित करने तथा उन्हें पूरा करने हेतु के.वी.के में उपलब्ध वैज्ञानिक ब्लाक प्रौद्योगिकी टीमों को सलाह देंगे तथा उनका ज्ञानवर्धन करेंगे। इसके साथ–साथ विस्तार कर्मियों को तुरंत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय जिलावार एक विशेषज्ञ को नामांकित करेंगे। विस्तार कर्मियों को जानकारी त्वरित रूप से सुलभ करने के लिए इस विशेषज्ञ को 24,000/– रूपया प्रति वर्ष की राशि (मोबाईल संचार पर व्यय सहित) आत्मा संसाधनों से प्रदान की जायेगी। आत्मा के अंतर्गत रणनीतिक अनुसंधान विस्तार योजना (एस.आर.ई.पी.) के आधार पर समग्र जिला कृषि योजना (सी–डैप.) अथवा जिला कृषि कार्य योजना (डी.ए.ए.पी.) का आत्मा और के.वी.के. द्वारा संयुक्त रूप से संशोधन करेंगे और इनमें इंगित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सांझा कार्रवाई करेंगे।

(ख) आत्मा के अंतर्गत लगाये गये बी.टी.एम. और एस.एम.एस. सहित वैज्ञानिकों एवं विस्तार अधिकारियों को दिशा–निर्देश

देने के लिए और उनको सौंपे गए विस्तार संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए आत्मा के परियोजना निदेशक और के.वी.के. के कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक माह जिला में कम से कम पांच गांवों का संयुक्त रूप से दौरा करेंगे। महीने के अंत में दोनो अधिकारी राज्य के सचिव व निदेशक (कृषि/संबंधित विभाग जैसे बागवानी, पशु–पालन, मत्स्य–पालन आदि) और कृषि विश्वविद्यालय के उप–कुलपतियों को भ्रमण संबंधी एक संयुक्त रिर्पोट सौंपेंगे।

(ग) राज्य के सचिव (कृषि) अथवा कृषि उत्पादन आयुक्त से परामर्श करके विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विशिष्ट वैज्ञानिकों को जिला आवंटित करेंगे, जो स्थानीय परियोजना निदेशक (आत्मा) और के.वी.के. के साथ पुनः सम्पर्क स्थापित करके, इस तंत्र के जरिए किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

(घ) कृषि सचिव अथवा कृषि उत्पादन आयुक्त से परामर्श के बाद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति प्रत्येक माह उपर्युक्त (क) एवं (ख) को पूरा करने के लिए आत्मा, के.वी.के. और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मियों द्वारा दौरा किए जाने वाले गांवों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करेंगे। तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए क्षेत्र स्तरीय दौरों से प्राप्त फीड बैक की भी विस्तृत समीक्षा अगली मासिक बैठक में की जाएगी।

(ड़) विश्वविद्यालय के उप–कुलपति द्वारा के.वी.के., जिला कृषि अधिकारियों, परियोजना निदेशक (आत्मा) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के बीच परस्पर परिचर्चा हेतु एक तिमाही बैठक का आयोजन किया जायेगा और की गयी कार्रवाई से सचिव (कृषि/अन्य संबंधित विभाग जैसे बागवानी, पशु–पालन, मत्स्य–पालन आदि) अथवा कृषि उत्पादन आयुक्त को अवगत कराया जायेगा। विश्वविद्यालय के उप–कुलपति तिमाही गतिविधियों और प्रगति का संक्षिप्त विवरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को भी प्रस्तुत करेंगें।

(च) आत्मा और के.वी.के. के कर्मी खेत दिवस, किसान मेला, गोष्ठी आयोजन तथा फार्म स्कूल लगाने में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करेंगें ताकि एक ही संस्था / किसान को दुहरा लाभ न मिले। दोनों संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ खेत तक पहुंचे।

(छ) आत्मा प्रबंधन समिति, जिसमें के.वी.के. के प्रमुख भी एक सदस्य है, द्वारा आत्मा के अंतर्गत गतिविधियों में प्रौद्योगिकी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा के.वी.के. अर्द्धवार्षिक आधार पर (अर्थात खरीफ और रबी फसल से पहले) नवीनतम कृषि तकनीक आत्मा को उपलब्ध करायेंगें जिससे किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार किया जा सके।

(ज) आत्मा कार्यक्रम के अन्तर्गत के.वी.के. गतिविधियों के लिए धनराशि सीधे के. वी.के. को उपलब्ध करवाई जायेगी जिसकी सूचना सम्बन्धित नियंत्रण प्राधिकारियों जैसे कि विश्वविद्यालय से जुड़े के.वी.के. के मामले में निदेशक विस्तार शिक्षा (डी.ई.ई.) तथा नियंत्रक (कम्पट्रोलर) और भा.कृ.अ.प. संस्थानों से जुड़े के.वी.के. के लिए सम्बन्धित संस्थान निदेशक को दे दी जायेगी। गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित के.वी.के. के लिए धनराशि सीधे के.वी. के. को उपलब्ध करवाई जायेगी। इसकी सूचना क्षेत्रीय परियोजना निदेशक (ज़ैड.पी.डी.) को दे दी जायेगी। आत्मा द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र व गुणात्मक प्रगति रिर्पोट के.वी.के द्वारा ही प्रस्तुत की जायेगी, किन्तु संबंधित स्थानीय संस्थान तथा अनुश्रवण प्राधिकारी (जैसेः राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भा.कृ.अ.प. के संस्थान तथा क्षेत्रीय परियोजना निदेशक) के.वी. के. की गतिविधियो कों, जिसमें आत्मा से जुड़े कार्यकलाप भी शामिल है, का अधिवीक्षण जारी रखेंगे। यह सभी अधिवीक्षण अधिकारी प्रत्येक तिमाही में अपने द्वारा देखे गये कृषि विज्ञान केन्द्रों की भौतिक व गुणात्मक प्रगति तथा नीतियों के अमल में आ रही समस्याओं की एक रिर्पोट राज्य सरकार व कृषि विश्वविद्यालय को सौंपेंगे। इस प्रकार

जिला स्तर पर आत्मा भी इन मुद्दों से अवगत हो सकेगी।

(झ) दीर्घकालीन अनुसंधान से जुड़े मुद्दों को क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों (ज़ैड.ए.आर.एस.) की सहायता से कृषि–जलवायु संबंधी दोनो के क्षेत्रवार आधार पर सकंलित किया जाएगा। इस तरह के मुद्दों के बारे में अंतर्विभागीय कार्यसमूह (आई.डी.डब्ल्यू.जी.) के अनुमोदन से संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों (ज़ैड.ए.आर.एस.) को औपचारिक रूप से अवगत कराया जायेगा। अंतर्विभागीय कार्यसमूह, जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उप–कुलपतियों के साथ–साथ राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशक भी मनोनीत है, के द्वारा क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान सस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

(ण) के.वी.के. भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे एन.एफ.एस.एम., एन.एच.एम., आर.के.वी.वाई., एन.ए.आई.एस. आदि के कार्यान्वयन के लिए आत्मा और जिला प्रशासन को सलाह देगें। के.वी.के. के वैज्ञानिक बी.टी.टी. को तकनीकी सलाह देंगें और बी.ए.पी. की तैयारी में (विशेषतः अनुसंधान से संबंधित मुद्दों / कमियों और रणनीतियों के मामलों में) सक्रिय भागीदारी निभायेंगें। के.वी.के. के एक वैज्ञानिक को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ब्लॉक प्रौद्योगिकी टीम की बैठक में नियमित रूप से भाग लेने के लिए मनोनीत किया जाएगा जो के.वी.के. में अपने सहकर्मियों के लिए उनके विषय विशेष के क्षेत्रों से संबंधित फीड बैक भी प्राप्त करेगा।

(ट) किसान काल केन्द्रों में प्रश्नों के अगले स्तर पर जाने की स्थिति में, के.वी.के जिला स्तर के कर्मियों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगें।

(ठ) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य विकास विभागों के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तालमेल के सफलतम और

नवीन मॉडल (जैसे आंध्र प्रदेश का जिला कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र) को विकसित करने तथा इन्हें सभी राज्यों में लागू करने के बारे में भी कार्य किया जायेगा।

(ड) अनुसंधान और विस्तार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए संशोधित आत्मा योजना के दिशा–निर्देश, 2010 में वर्णित अन्य सभी कदम भी उठाये जायेंगे।

6. यातायात भत्ता / दैनिक भत्ता इत्यादि से संबंधित सभी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित विभागों द्वारा अपने बजटीय आवंटन से की जायेगी। फिर भी, अनुसंधान – विस्तार – किसान सम्पर्क के लिए आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत उपलब्ध निधि का समुचित ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

7. कृषि एवं सहकारिता विभाग व डेयर (डी.ए.आर.ई.) / भा.कृ.अ.प. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक तरफ वैज्ञानिक समुदाय और राज्य कृषि मशीनरी तथा दूसरी ओर किसानों के साथ बेहतर समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करने बारे हुई प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए राज्यों का दौरा किया जाएगा।

27.I.11

सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक,
आई.सी.ए.आर.

27.1.11

सचिव (कृ. एवं स.)

सेवा में

1. सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/प्रशासक/प्रशासक के सलाहकार।

2. सभी राज्य एवं संघ के प्रधान सचिव/सचिव (कृषि एवं सम्बद्ध विभाग)।

3. सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति/विस्तार निदेशक/नियन्त्रक।

4. भा.कृ.अ.प. के सभी संस्थानों के अध्यक्ष व कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण।

5. सभी राज्य एवं संघ के आयुक्त/निदेशक, कृषि एवं सम्बद्ध विभाग/राज्य नोडल अधिकारी (आत्मा)/निदेशक (समेति) व विस्तार शिक्षा संस्थान (ई.ई.आई.)।

6. सभी आंचलिक परियोजना निदेशक/कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयक।

7. सभी आत्मा के शासी बोर्ड तथा प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष।

8. आत्मा के अन्तर्गत नियुक्त सभी खण्ड प्रौद्यौगिकी प्रबन्धक (बी.टी.एम.)।